



स.ए. 20011/4/2020 - हिंदी
भारत सरकार/ Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
Directorate of Coordination Police Wireless



खण्ड सं ,9 .के.स.का .परिसर/Block No.9, C.G.O., Complex,
लोधी रोड ,नई दिल्ली/Lodhi Road, New Delhi-3

दिनांक /Dated: 07 अप्रैल 2021

कार्यालय जापन

विषय: निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की मार्च 2021 की तिमाही बैठक की कार्यवृत्त।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की मार्च 2021 तिमाही की बैठक का आयोजन दिनांक 26 मार्च 2021 को 1100 बजे श्री रमेश कुमार सिद्धार्थ, भा.दू.से., निदेशक, स.नि.पु.बे. की अध्यक्षता में ऑनलाइन किया गया। बैठक में कार्यसूची के अनुसार विचार-विमर्श किया गया और निदेशालय हेतु राजभाषा से संबंधित वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने एवं हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए।

2. बैठक की कार्यवृत्त की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, निदेशालय के सभी अनुभागों एवं सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों की सूचना, रिकॉर्ड एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेषित की जा रही है।

3. सभी संबंधितों से अनुरोध है कि कार्यवृत्त में उल्लिखित मदों पर यथापेक्षित कार्रवाई करते हुए की गई कार्रवाई से राजभाषा अनुभाग को पत्र जारी होने के एक माह के भीतर अवगत करवा दें ताकि निदेशालय की अगली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुपालन रिपोर्ट समिति के सामने प्रस्तुत की जा सके।

4. यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।


07.04.2021

(डॉ. राजीव कुमार सिंह)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

दूरभाष : 011-24361588

ई-मेल आईडी- rajivkumar.79@dcpw.gov.in

संलग्नक : यथोपरि।

प्रति:-

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य।
2. सभी अनुभाग अधिकारी/अनुभाग।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली ।
4. उप निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरीफोर्ट, नई दिल्ली।
5. स.नि., सूचना और प्रौद्योगिकी- अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग की वेबसाइट (Circular भाग) पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ:-

1. निदेशक के प्रधान निजी सचिव।
2. अपर निदेशक (मुख्यालय)/ अपर निदेशक (प्रचालन) के वैयक्तिक सचिव।
3. निदेशक (राजभाषा), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, आठवां तल, एनडीसीसी-॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली- 110001 को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

**समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
(राजभाषा अनुभाग)**

विषय: समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक (मार्च 2021) की कार्यवृत्त।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की मार्च 2021 तिमाही की "ई" बैठक श्री रमेश कुमार सिद्धार्थ, भा.दू.से., निदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26 मार्च 2021 को 1100 बजे निदेशालय (मुख्यालय) में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	
1.	श्री रमेश कुमार सिद्धार्थ, भा.दू.से., निदेशक, स.नि.पु.बे.	अध्यक्ष
2.	श्री राकेश कुमार, निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, भारत सरकार	गृ.मं. के प्रतिनिधि
3.	श्री देवेन्द्र सिंह, भा.दू.से., अपर निदेशक (मुख्यालय)	सदस्य
4.	श्री एम.एस.एन. स्वामी, अपर निदेशक (प्रचालन)	सदस्य
5.	श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)	सदस्य
6.	डॉ सुरेश विनायक, संयुक्त निदेशक (संचार)	सदस्य
7.	श्री घनश्याम, संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	सदस्य
8.	श्री नरेश कुमार, संयुक्त निदेशक (बीजलेख)	सदस्य
9.	श्री विद्याधर, उप निदेशक (बीजलेख)	सदस्य
10.	श्री एच. एस. श्रीहरी, उप निदेशक (पोलनेट हब)	सदस्य
11.	श्री मयंक कपूर, उप निदेशक (संचार एवं पोलनेट योजना)	सदस्य
12.	श्री अमरजीत सिंह, उप निदेशक (कार्यशाला)	सदस्य
13.	श्री विनय बर्थवाल, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)	सदस्य
14.	श्री शशि कांत सिंह, सहायक निदेशक (क्रय)	सदस्य
15.	श्री राम प्रसाद, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)	सदस्य
16.	श्री कौस्तव साहा, सहायक निदेशक (आई.टी. एवं भूमि व भवन)	सदस्य
17.	श्री लक्ष्मी शंकर यादव, सहायक निदेशक (संचार केन्द्र)	सदस्य
18.	श्री कुलदीप के रावत, लेखा अधिकारी	सदस्य
19.	डॉ. राजीव कुमार सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा)	सदस्य सचिव
20.	श्री दिनेश सिंह, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	सदस्य

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय का एवं बैठक में उपस्थित गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री राकेश कुमार, निदेशक (राजभाषा) सहित सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। तदोपरान्त, उन्होंने अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर 'ई' बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की। बैठक में कार्यसूची के अनुसार विचार-विमर्श करके निर्णय लिए गए, जो निम्नानुसार हैं :-

मद संख्या 1. पिछली बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि. निदेशालय की पिछली बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2020 को अपर निदेशक (मुख्यालय) की अध्यक्षता में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गयी थी। बैठक की कार्यवृत्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु समिति के सभी सदस्यों एवं निदेशालय के सभी अनुभागों सहित अंतर राज्य

पुलिस बेतार स्टेशनों को अग्रेषित की गयी थी। इस प्रकार, सभी सदस्यों द्वारा पिछली बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या 2. पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा. बैठक में निदेशालय की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा की गयी। जो निम्न प्रकार से हैं :-

(क) **अनुभागों द्वारा हिंदी पत्राचार को बढ़ाना.** सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भंडार, संचार/अनुरक्षण, पोलनेट अनुभाग एवं पोलनेट हब द्वारा पिछली तिमाही में हिंदी पत्राचार का प्रतिशत पहले की तिमाही की तुलना में कम होने का लिखित कारण प्राप्त हो चुका है, जिसमें अनुभागों द्वारा आगे से हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया गया।

कार्रवाई- सभी संबंधित अनुभाग।

(ख) **निदेशालय की वेबसाइट का द्विभाषीकरण.** सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निदेशालय के सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा निदेशालय की वेबसाइट को पहले हिंदी में खुलने से संबंधित कार्रवाई की जा चुकी है। अब निदेशालय की वेबसाइट पहले हिंदी में खुल रही है और हिंदी के हिट्स अंग्रेजी से अधिक हैं।

कार्रवाई- सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग।

(ग) **मुख्यालय में स्थित अनुभागों का प्रत्यक्ष निरीक्षण (वार्षिक लक्ष्य 25% है).** सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा दिनांक 23.03.2021 को निदेशालय के 13 अनुभागों में से 06 अनुभागों यानी भूमि व भवन, पोलनेट अनुभाग, अनुरक्षण एवं संचार, क्रय अनुभाग, समन्वय अनुभाग और प्रशासन अनुभाग का राजभाषा संबंधी प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया है। इस प्रकार 46% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

(घ) **मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के ऐसे अनुभाग जहां सम्पूर्ण कार्य हिंदी में हों (अनुभागों का लक्ष्य 40% है).** सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निदेशालय के 13 अनुभागों में से 2 अनुभागों- प्रशासन अनुभाग एवं क्रय अनुभाग को अपना सम्पूर्ण कार्य हिंदी में निष्पादित करने हेतु नामित किया गया है। निर्णय लिया गया था कि जिन दो अनुभागों को सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु नामित किया गया है, उन अनुभागों द्वारा कितना काम हिंदी में किया जा रहा है, इसके बारे में बैठक में जानकारी दी जाए। क्रय अनुभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके अनुभाग द्वारा हिंदी कार्यों से संबंधित 80 प्रतिशत तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। दिसम्बर 2020 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन अनुभाग द्वारा 74.79 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा क्रय अनुभाग के अनुभाग अधिकारी की प्रशंसा की गयी और सभी अनुभागों को अपना कार्य हिंदी में निष्पादित करने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्रवाई - सभी अनुभाग/राजभाषा अनुभाग

(ङ) **हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों के लिए व्यक्तिशः आदेश.** सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था कि निदेशालय के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना शत-प्रतिशत सरकारी काम-काज हिंदी में करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए हैं, वे कार्मिक कितना प्रतिशत कार्य हिंदी में कर रहे हैं, इसका डाटा मंगा कर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस संबंध में अनुभागों से प्राप्त कार्मिकों के डाटा को टेबुलेटेड फॉर्म में स्क्रीन पर दिखाया गया।

कार्रवाई - प्रवीणता प्राप्त सभी कार्मिक

(च) हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार. सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए लागू की गयी वार्षिक प्रोत्साहन योजना - वर्ष 2019-20 में भाग लेने के लिए निदेशालय मुख्यालय सहित अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों से कुल 20 कार्मिकों का विवरण प्राप्त हुआ है और पुरस्कार देने हेतु मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

कार्रवाई - राजभाषा अनुभाग

(छ) अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक/हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन. सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों द्वारा मार्च 2021 तिमाही में उनके केन्द्रों में राजभाषा हिंदी की तिमाही बैठक और हिंदी कार्यशाला के आयोजन के संबंध में सूचना प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त डाटा को स्क्रीन पर दर्शाया गया।

कार्रवाई - सभी अं.रा.पु.बे. केन्द्र

(ज) अनुभागों द्वारा हिंदी पत्राचार और हिंदी टिप्पण के लक्ष्य को प्राप्त करना. सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था कि निदेशालय के अनुभागों को हिंदी पत्राचार और फाइलों पर हिंदी टिप्पण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक पत्र जारी किया जाए और जिन अनुभागों का हिंदी पत्राचार पिछली तिमाही की तुलना में समीक्षाधीन तिमाही से बहुत कम है, उन अनुभागों को पत्राचार की प्रतिशतता में आयी कमी का कारण पूछा जाए। इस संबंध में हिंदी अनुभाग द्वारा कार्यशाला, बीजलेख और पोलनेट हब को हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता में आयी कमी का कारण पूछा गया था। इन सभी अनुभागों से सूचना प्राप्त हुई है। कार्यशाला अनुभाग द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त तिमाही रिपोर्ट में अनुभाग द्वारा भंडार अनुभाग को हिंदी में भेजे गए कुल 18 जॉब कार्ड की गणना नहीं की गयी थी। बीजलेख अनुभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार लॉकडाउन के कारण सितम्बर 2020 तिमाही में आवक पत्राचार जून 2020 की तिमाही से बहुत अधिक होने के कारण हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता में कमी आई, जिसे भविष्य के लिए संज्ञान में लिया गया है। पोलनेट हब से प्राप्त सूचना के अनुसार पोलनेट हब तकनीकी उन्मुख होने के कारण बहुत से विषयों का हिंदी में पत्राचार करना कठिन है, जिसके कारण हिंदी पत्राचार कम हो गया, हालांकि पोलनेट हब द्वारा हिंदी पत्राचार का प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उचित प्रयास करने का आश्वासन दिया गया है।

कार्रवाई - सभी अनुभाग

मद संख्या 3. पिछली हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा. बैठक में निदेशालय की पिछली तिमाही प्रगति रिपोर्ट (दिसम्बर 2020 की तिमाही) पर विस्तार से चर्चा की गयी।

(क) हिंदी पत्राचार. सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निदेशालय के लिए हिंदी पत्राचार का लक्ष्य 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत है एवं 'ग' क्षेत्र के लिए 65 प्रतिशत निर्धारित है। दिसम्बर 2020 तिमाही में निदेशालय का हिंदी पत्राचार 'क' क्षेत्र को 54.64 प्रतिशत हुआ है, जोकि सितम्बर 2020 तिमाही की तुलना में 11.10 प्रतिशत बढ़ा है। 'ख' क्षेत्र को 57.02 प्रतिशत हिंदी पत्राचार हुआ है जोकि सितम्बर 2020 तिमाही से 27.82 प्रतिशत बढ़ा है और 'ग' क्षेत्र को 46.38 प्रतिशत हिंदी पत्राचार हुआ है जोकि सितम्बर 2020 तिमाही से 18 प्रतिशत बढ़ा है। बैठक में दिसम्बर 2020 तिमाही में अनुभागों से प्राप्त तिमाही रिपोर्ट में हिंदी पत्राचार/हिंदी टिप्पणी के प्रतिशत का विवरण और सितम्बर 2020 की तिमाही रिपोर्ट का विवरण टेबुलेटेड फॉर्मेट में ऑनलाइन माध्यम से स्क्रीन पर दिखाया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि निदेशालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए।

कार्रवाई - सभी अनुभाग

(ख) धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी कागजातों को द्विभाषी जारी करना. सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निदेशालय द्वारा दिसम्बर 2020 में धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी कागजातों को द्विभाषी रूप में जारी किया गया है और राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) फाइलों पर हिंदी में टिप्पण/आलेखन. सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 75 प्रतिशत का है। दिसम्बर 2020 की तिमाही में मुख्यालय का हिंदी टिप्पण 58.41 प्रतिशत रहा है, जोकि सितम्बर 2020 तिमाही की तुलना में **8.51 प्रतिशत अधिक** है।

मद संख्या 4. वार्षिक कार्यक्रम 2020-21 में दिए गए लक्ष्यों पर चर्चा. बैठक में वार्षिक कार्यक्रम 2020-21 में दिए गए लक्ष्यों पर मदवार चर्चा की गयी। सदस्य सचिव द्वारा सभी मदों पर प्रगति रिपोर्ट और निदेशालय द्वारा प्राप्त लक्ष्यों की जानकारी विस्तार से दी गयी। निर्णय लिया गया कि वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

कार्रवाई - सभी अनुभाग

(क) द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना. इस विषय पर चर्चा करते हुए श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा सूचित किया गया कि सी.पी.आर.टी.आई. द्वारा हिंदी अनुभाग की सहायता से पाठ्यक्रम समिति रिपोर्ट - 2020 को द्विभाषी बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने समिति को सूचित किया कि प्रशिक्षण संस्थान में प्रश्न-बैंक अभी अंग्रेजी में है इसे द्विभाषी तैयार करने की कोशिश की जाएगी।

कार्रवाई - केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान

मद संख्या 5. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य विषय पर चर्चा.

अध्यक्ष महोदय का संबोधन. अध्यक्ष श्री रमेश कुमार सिद्धार्थ, भा.दू.मे., निदेशक महोदय ने निदेशालय के हिंदी पत्राचार और वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए :-

1. अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि सभी अनुभागों को हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए।

कार्रवाई - सभी अनुभाग

2. यह सुनिश्चित करें कि हिंदी पत्राचार का प्रतिशत जो लक्ष्य से कम है, उसकी प्रतिशतता में कमी नहीं आनी चाहिए, हिंदी पत्राचार और अधिक बढ़ते रहना चाहिए।

कार्रवाई - सभी अनुभाग

3. उन्होंने निर्देश दिया कि आंतरिक पत्राचार सम्पूर्ण रूप से हिंदी में करने का प्रयास किया जाए ताकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

कार्रवाई - सभी अनुभाग

4. अध्यक्ष महोदय द्वारा हिंदी पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों की खरीद के लिए निर्देश दिया गया कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हिंदी की उपयोगी और रुचिकर पुस्तकों की सूची हिंदी पुस्तकालय में भेजी जानी चाहिए ताकि हिंदी की पुस्तकें खरीदी जा सकें। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पुस्तकों के नाम मांगे जाएं और हिंदी पुस्तकालय में नियमित रूप से पुस्तकों का अध्ययन किया जाना चाहिए।

कार्रवाई - सभी अधिकारी/कर्मचारी

5. अध्यक्ष महोदय द्वारा पोलनेट हब के उप निदेशक से हिंदी पत्राचार में कमी का कारण पूछा गया और हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए। श्री एच.एस. श्रीहरि, उप निदेशक, पोलनेट हब ने

आश्वासन दिया कि पोलनेट हब द्वारा हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और पहले की तुलना में पोलनेट हब का हिंदी पत्राचार बढ़ा है।

कार्रवाई - पोलनेट हब

6. अध्यक्ष महोदय द्वारा केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान को हिंदी पत्राचार और बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए।

कार्रवाई - केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान

तदोपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से उनके सुझाव पूछे गए, जो इस प्रकार से थे :-

1. श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा सूचित किया गया कि निदेशालय में कार्यरत सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा निदेशालय में हिंदी की प्रगति के लिए सराहनीय एवं प्रशंसनीय प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि जैसा मैंने अभी तक देखा और पाया कि सहायक निदेशक (राजभाषा) बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनके प्रयासों से निदेशालय का हिंदी पत्राचार निरंतर बढ़ रहा है।
2. डॉ. राजीव कुमार सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा सुझाव दिया गया कि जिन पत्रों का उत्तर देना अनिवार्य नहीं है उनकी पावती हिंदी में भेजी जानी चाहिए ताकि हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता में वृद्धि हो सके।
3. श्री राकेश कुमार, निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई करने हेतु मार्गदर्शित किया गया :-

(क) निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया जाए जिसमें सभी प्रभागों/अनुभागों का प्रतिनिधित्व हो। उन्होंने बताया कि चूंकि राजभाषा अधिकारी बैठक के सदस्य सचिव होते हैं इसलिए इस समिति में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक को बैठक का सदस्य नहीं होना चाहिए, हिंदी अनुवादक से बैठक की तैयारी जैसे- बैठक की कार्यसूची बनाने एवं कार्यवृत्त तैयार करने में सहायता ली जाए।

कार्रवाई - राजभाषा अनुभाग

(ख) निदेशक (राजभाषा) द्वारा प्रसन्नता जाहिर की गई कि निदेशालय की वेबसाइट द्विभाषी है और यह पहले हिंदी में खुलती है और साथ ही सुझाव दिया गया कि वेबसाइट में हिंदी और अंग्रेजी के पत्रों की संख्या बराबर होनी चाहिए।

कार्रवाई - सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग

(ग) निदेशक (राजभाषा) द्वारा सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा 40 प्रतिशत अनुभागों को हिंदी में काम करने हेतु नामित करने का लक्ष्य निर्धारित है। इस प्रकार निदेशालय के 13 अनुभागों में से कम से कम 5 अनुभागों को हिंदी में कार्य करने हेतु नामित करने की आवश्यकता है। इस समय 02 अनुभाग नामित हैं। जिन अनुभागों में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त और कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिक तैनात हैं, उनमें से और 03 अनुभागों को अपना कार्य हिंदी में करने हेतु नामित करने संबंधी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लक्ष्य हासिल किया जा सके।

कार्रवाई - राजभाषा अनुभाग

(घ) निदेशक (राजभाषा) द्वारा सूचित किया गया कि यदि निदेशालय के अनुभाग और थोड़ा प्रयास करेंगे तो हिंदी टिप्पण/आलेखन का लक्ष्य 75 प्रतिशत तक आसानी से हासिल किया जा सकता है।

कार्रवाई - सभी अनुभाग

(इ) हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी अनुभागों को आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

कार्रवाई - सभी अनुभाग

अंत में कोई मद नहीं होने पर अध्यक्ष महोदय ने बैठक में लिए गए निर्णयों पर सभी अधिकारियों द्वारा अपने-अपने तरफ से आवश्यक कार्रवाई करने और निदेशालय के हिंदी पत्राचार को बढ़ाने हेतु निर्देश के साथ सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए 'ई' बैठक के समापन की घोषणा की।



07.04.2021
(डॉ राजीव कुमार सिंह)

सहायक निदेशक (राजभाषा)